	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	आषाढ़ *10*, *सोमवार*, शाके 1946-*जुलाई 01*, 2024	
	Asadha 10, Monday, Saka 1946- July 01, 2024	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जून 28, 2024

संख्या:10/भू.अ./ज.स./2024/1184-1187:- चूंकि राज्य सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ राजगढ मध्यम सिंचाई परियोजना के तृतीय चरण के डूब में आने वाली भूमि को अवाप्त किया जाना आवश्यक है।

यह अधिसूचना जारी कर भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-4(1) एवं राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का नियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसरण में सलग्न सूची अनुसार प्रभावित क्षेत्र में सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन हेतु सम्बन्धित ग्राम पंचायत, नगरपालिका या नगर निगम से सम्पर्क करने एवं राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का नियम, 2016 के नियम 6(8) की पालना सुनिश्चित करने हेतु अधिशाषी अभियन्ता राजगढ मध्यम सिंचाई खण्ड भवानीमण्डी को अधिकृत किया जाता है।

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-3 (जी) एवं राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 1(51) Rev-6/2014/31 दिनांक 28.08.2015 के अन्तर्गत भूमि अवाप्ति अधिकारी (जल संसाधन वृत) झालावाड होगे।

विवरण

अवाप्त की जाने वाली भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन **में उचित पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-4(1) की कार्यवाही बाबत् प्रस्ताव**

क्र0 सं0	**परियोजना का नाम**	**ग्राम का नाम**	**ग्राम पंचायत**	**तहसील का नाम**	**जिला**	भूमि अवाप्ति अधिकारी
1	**राजगढ़ मध्यम सिंचाई परियोजना**	**राजगढ़**	**नाहरघट्टा**	**पचपहाड़**	झालावाड़	भूमि अवाप्ति अधिकारी, जल संसाधन वृत, झालावाड़
2		**आमलिया**	**मिश्रोली**			
3		**मिश्रोली**	**मिश्रोली**			
4		**सिलेहगढ़**	**सिलेहगढ़**			

5		**कोचरियाखेड़ी**	**सिलेहगढ़**			
6		**मरलावदा**	**सिलेहगढ़**			
7		**अरनिया**	**भैंसानी**			
8		**गांगलियाखेडी**	**खोखरियाखुर्द**			
9		**करावन**	**करावन**			
10		**पुरा**	**गैलानी**	**पिड़ावा**		
11		**गैलाना**	**गैलानी**			
12		**धतुरियाकला**	**गोविन्दपुरा**			
13		**धतुरियाखुर्द**	**गोविन्दपुरा**			
14		**घाटाखेड़ी**	**चछलाव**			
15		**आन्याखेड़ी**	**गोविन्दपुरा**			

फार्म-2

(देखें-नियम-5)

पार्ट-बी

सामाजिक समाघात निर्धारण की अधिसूचना

सामाजिक समाघात निर्धारण की अधिसूचना में निम्नलिखित सम्मिलित होगा-

(क)	परियोंजना विकासकर्ता का नाम	अधिशाषी अभियंता राजगढ़ मध्यम सिंचाई खण्ड भवानीमण्डी
	प्रस्तावित योंजना का संक्षिप्त वर्णन और अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि का विस्तार, सामाजिक समाघात निर्धारण के अधीन आने वाले परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र।	राजगढ़ मध्यम सिंचाई परियोजना का निर्माण तहसील पचपहाड जिला झालावाड़ में पूर्ण किया जा चुका है। इस योजना के अन्तर्गत ग्राम राजगढ़, आमलिया, मिश्रोली, सिलेहगढ़, कोचरियाखेड़ी, मरलावदा, अरनिया, गांगलियाखेडी, करावन तहसील पचपहाड तथा ग्राम पुरा, गेलाना, धतुरियाकला, धतुरियाखुर्द, घाटाखेड़ी, आन्याखेड़ी तहसील पिड़ावा की कुल भूमि 143.51799 हेक्टेयर (निजी भूमि 111.5273 हैक्टेयर. सरकारी 31.9906 हैक्टेयर) अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित है।

(ख)	सामाजिक समाघात निर्धारण के मुख्य उद्देश्य और महत्वपूर्ण क्रियाकलाप जिसके अन्तर्गत (i) परामर्श (ii) सर्वेक्षण (iii) सार्वजनिक सुनवाई/सुनवाईयां भी दें।	(i) परामर्श (ii) सर्वेक्षण (iii) सार्वजनिक सुनवाई
(ग)	यदि ग्राम सभा और/ भू-स्वामी की सहमति अपेक्षित है तो अधिसूचना में इस बारें में कथन किया जाना होगा।	अधिनियम की धारा 2(1) के अन्तर्गत लागू नहीं है।
(घ)	सामाजिक समाघात निर्धारण के लिए समय सीमा और सामाजिक समाघात निर्धारण प्रकटीकरण की रीति के साथ अनेअचल परिणाम (सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबन्धन) योंजना विनिर्दिष्ट किए जाने होगे।	अधिनियम में निर्धारित प्रक्रिया व समय के अनुसार
(ड़)	इस अवधि के दौरान इस आशय का कथन कि प्रपीडन या धमकी के प्रयास से कार्यवाही अकृत और शून्य हों जाएगी।	हां
(च)	सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई से सम्पर्क करने संबंधी जानकारी।	अधिशाषी अभियंता राजगढ़ मध्यम सिंचाई खण्ड भवानीमण्डी

मुकेश कुमार गुप्ता,
उप सचिव एवं प्रावै. सहा.,
वास्ते मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन,
राजस्थान, जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।